(5)

न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति, R.T.S.
मिसल नं. ::: 141/2023
सरकार बनाम हरिसिंह पुत्र मंगलदास, जाति–स्वामी, निवासी–पारसनगर

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांकः 13.07.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल हरिसिंह पुत्र मंगलदास, जाति–स्वामी, निवासी–पारसनगर के विरूद्ध ग्राम पारसनगर की मन्दिर श्री रूगनाथजी वाके देह की खातेदारी भूमि ख.नं. 127 रकबा 1.31 है0 किस्म बारानी–I, ख.नं. 128 रकबा 0.05 है0 किस्म गै.मु. आबादी, ख.नं. 129 रकबा 2.98 है0 किस्म बारानी–I पर तारबन्दी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, विवादित भूमि सरकारी भूमि नही है, इसलिए विवादित भूमि के बाबत कानूनन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही नही की जा सकती है। गैर सायल ने अपने जवाब नोटिस में कई न्यायिक निर्णयों का भी उल्लेख किया है तथा इस बाबत अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के न्यायालय में दर्ज होना बताया है।

चूंकि भूमि मन्दिर के नाम दर्ज खातेदारी की है तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक 3 (2) राज–6/2007/पार्ट–5 जयपुर, दिनांक 12.09.2018 के द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि "मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्ति मंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण की रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।" अतः उक्त परिपत्र के अनुसरण में प्रश्नगत मंदिर मूर्ति की भूमि पर भी राजकीय भूमि की तरह राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के प्रावधान लागू होंगे। इससे पूर्व के न्यायिक निर्णय/दृष्टांत वर्तमान में प्रभावी परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के आने के बाद लागू नही होते है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं में दायर अपील में कोई स्थगन आदेश जारी नही किया गया है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नही माना जा सकता है। उक्त परिपत्र के परिपेक्ष में मन्दिर की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 1628 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं. 05 पर वर्ष 23-24 में रूपये 1628/- कायम किए
राजस्व लेखाकार